बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना

निबंधित कार्यालयः विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21

(जन–सम्पर्क विभाग)

प्रेस विज्ञप्ति

(1) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा भागलपुर एवं मुॅगेर में दिनांक 21.11.2014–22.11.2014 को समीक्षा बैठक के क्रम में श्री प्रदीप कुमार पंकज, कनीय विद्युत अभियंता (अनुबंध), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नौगछिया (ग्रा0) द्वारा निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं घोर कर्त्तव्यहीनता का दोषी पाया गया।

तदुनसार श्री प्रदीप कुमार पंकज, कनीय विद्युत अभियंता (अनुबंध), विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, नौगछिया (ग्रा0) को पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के जॉब कॉन्टैक्ट सूचना सं0– 1/2006 एवं कार्यालय आदेश सं0. 3628 दिनांक 01.11.2006 की कंडिका–4 के आलोक में संविदा तत्क्षण प्रभाव से समाप्त कर दीया गया है।

(2) अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा भागलपुर एवं मुॅगेर में दिनांक 21.11.2014–22.11.2014 को समीक्षा बैठक के क्रम में मो0 नजमस शाकिब, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, थाना बीहपुर द्वारा निर्देशों की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं घोर कर्त्तव्यहीनता का दोषी पाया गया।

तदुनसार मो0 नजमस शाकिब, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, थाना बीहपुर को कर्त्तव्यहीनता बरतने एवं कम्पनी को राजस्व हानि पहुॅचाने के आरोपों के लिए एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक लगा दी गई है।